PRESS - RELEASE

जिला सवाई माधोपुर

सोमवार दिनांक :– **08-01-2018**

करोडो की ठगी करने वाला शातिर ठग गिरफतार

एटीएम बदल कर देते थे वारदात को अजांम ।

आई0जी0 आलोक वशिष्ठ एवं एसपी मामन सिहं के निर्देशों पर वृताधिकारी शहर सवाई माधोपुर सुभाष चन्द्र मिश्रा के नेतृत्व में टीम गठित कर गंगापुर सिटी थाने में एटीएम बदलकर ठगी करने वाली गैंग के मुख्य सरगना को वृताधिकारी शहर सवाई माधोपुर की टीम ने गिरफतार कर लिया।

1. क्या था मामला – गंगापुर सिटी निवासी घनश्याम शर्मा ने गंगापुर सिटी थाने में वर्ष 2016 में एक प्रकरण दर्ज करवाया था कि किसी शातिर ठग ने उनका एटीएम कार्ड बदलकर 40,000 रूपये निकाल लिये और बदले में किसी दूसरे का कार्ड दे दिया। इसी कार्ड से 15,000 रूपये एटीएम टू एटीएम ट्रान्सफर कर दिये। इस पर प्रकरण सं0 663/2016 अन्तर्गत धारा 420 आईपीसी व 66 डी आईटी एक्ट में दर्ज हुआ और तत्कालीन थानाधिकारी सतीश वर्मा ने अनुसधांन किया , जिस पर राशि ट्रान्सफर होने से मुनेश बैरवा को गिरफतार कर लिया था। जबकि शातिर ठग ने मुनेश बैरवा ने एटीएम कार्ड भी बदल दिया था। घटना के 7–8 दिन बाद मुनेश के भाई ने जो ईलाहबाद बेंक में अधिकारी है , ने मुनेश बैरवा के खाते में 15 हजार रूपये जमा करवाये थे। जब मुनेश बैरवा मिस्त्रियों को पैसा चुकाने 15000 रूपये निकलवाने पहुंचा तो एटीएम में पहुंचते ही आवाक रह गया , क्योंकि उसके पास एटीएम कार्ड दूसरे का निकला , इस पर उसने सारी घटना उसके भाई को बताई और गंगापुर सिटी में मुनशे बैरवा के पिता मूडया बैरवा ने प्रकरण सं0 38/2017 अन्तर्गत धारा 420 आईपीसी , 66 डी आईटी एक्ट में दर्ज करवाया। तत्कालीन अनुसधांन अधिकारी ने दोनो परिवादियों के खातों की जांच की तो पाया कि घनश्याम शर्मा के एटीएम से 15 हजार रूपये मुनेश बैरवा के खाते में एटीएम टू एटीएम ट्रान्सफर हुये है। जिस पर मुनेश बैरवा को गिरफतार कर लिया। जबकि स्वंय मुनेश बेरवा भी शातिर ठग का शिकार हो गया था और उसका भी कार्ड बदलकर ले गये थे। परन्तु एटीएम से 40,000 रूपये नही निकल पाने के कारण गेंग के सदस्यों ने राशि ट्रान्सफर कर ली।
2. दो माह रहा जैल में पिता व भाई भटकते रहे न्याय के लिये– मुनेश बैरवा 2 माह जेल में रहा उसकी जमानत खारिज हो गई । माननीय उच्च न्यायालय ने 40,000 रूपये कोर्ट के खाते में जमा करवाने की शर्त पर जमानत दी । इसी दौरान मुनेश बैरवा के भाई और पिता ये गुहार लगाते रहे कि मुनेश की गलत गिरफतारी हुई है। हमारे बेटे से खुद से ठगी हुई है। इस पर आईजी रेन्ज भरतपुर श्री आलौक वशिष्ठ भरतपुर के यहां पेश हुये जिस पर आईजी रेन्ज भरतपुर ने दोनो पत्रावली सही अनुसधांन करने एवं वास्तविक ठग का पता लगाने के लिये वृताधिकारी शहर सवाई माधोपुर सुभाष चन्द्र मिश्रा को दी ।
3. **यूं आया पकड में** – पीडित मुनेश बैरवा के बताये हुलिये व सीसीटीवी फुटेज निकलवाकर वृताधिकारी शहर मुखबिर खास मामूर किये , जिस पर पता चला कि इस तरह की हांसी हिसार में सचांलित है। जिसमें सांसी जाति के युवक लिप्त है , जिस पर एक टीम भेजी गई। कानि0 बाबुलाल गुर्जर व दौलत सिहं हैड कानि0 भेष बदलकर सात दिन हांसी में मुलजिम की पतारसी हेतु रखा गया। कानि0 बाबुलाल गुर्जर ने गुर्जरों वाली पगडी पहनकर गिटटी का ठेकेदार बनकर पहचान छिपाई और मुलजिम के पते ठिकाने व मोबाईन नम्बरों का पता लगा लिया व गुप्त रूप से फोटो स्टूडियों पर इसके हुलिये का बारिकी से पता लगाया। परन्तु पकडने में सफलता नही मिली। एक बार पता चला कि उक्त शातिर गेंग के सदस्य शिरडी सांई बाबा यहां से जगह जगह वारदातें करते हुये आ रहे है। इस पर टोंक निवाई से वृताधिकारी शहर स0मा0 की टीम ने फिल्मी स्टाईल में हरियाणा तक पीछा किया , परन्तु सीकर में

किसान सभा द्वारा रास्ता रोके होने के कारण पुलिस की गाडी पीछे रह गई और मुलजिम कच्चे रास्ते से निकल गये।

4. **आईजी रेन्ज भरतुपर ने दिये थे निर्देश** :–आईजी रेन्ज भरतपुर ने वृताधिकारियों की मिटिगं के दौरान वृताधिकारी शहर को पुनः टीम गठित कर शीघ्र पकडने के निर्देश दिये गये थे। जिस पर एसपी श्रीमान मामन सिहं ने हरियाणा पुलिस के उच्चाधिकारियों से वार्ता कर सवाई माधोपुर टीम का सहयोग करने हेतु **आग्रह किया । जिस पर पुनः** एक टीम नरेन्द्र शर्मा स0उ0नि0 , श्री मीठालाल हैड कानि0 , श्री बाबुलाल कानि0 , श्री गोरधन कानि0 , श्री श्यो प्रकाश कानि0 , श्री राजरूप कानि0 , दौलत सिंह हैड कानि0 , आशराम गुर्जर कानि0 , दिनेश कानि0 , मुकेश गुर्जर हैड कानि0 को मय हथियारों के भेजा गया और साईबर सैल के विशेषज्ञ श्री महेन्द्र कानि0 की सहायता ली गई। हांसी पहुंच कर स्थानीय पुलिस की मदद से शातिर ठग विरेन्द्र को पकडने में पुलिस टीम कामयाब हो गई।
5. **कितनी की है वारदातः**– मुलजिम ने प्रारम्भिक पूछताछ में बताया कि अब तक कुल 500 वारदातों को अजांम दे चुका है और शिरडी सांई बाबा के मत्था टेक कर अपने रिश्तेदार सुरेन्द्र सांसी के साथ एवं सचिन जाट के साथ वारदात करने निकलते थे। अब तक करीब एक–दो करोड रूपये की ठगी कर चुके है। प्रत्येक चक्कर में ढाई से तीन लाख रूपये हो जाने पर हांसी चले जाते थे। जहां पर पैसों का बंटवारा कर 2–3 दिन रूककर फिर वारदात के लिये निकल जाते थे। मुलजिम ने हांसी में करीब 2 करोड रूपये की लागत का आलीशान मकान बनवाया हैं। जिसमें मुम्बई से झूमर लाने के लिये अपने साथी को बुलाया हुआ था। , इसलिये वारदात में निकले 15–20 दिन का टाईम हो गया था। इस बार विरेन्द्र पुलिस के हत्थे चढ गया। मुलजिम को पकडते ही सांसी समाज के लोगों ने छुडवाने के लिये भरसक प्रयास किये , परन्तु टीम मय हथियार होने एवं स्थानीय पुलिस की मदद से संभव नही हो पाया ।
6. **मुनेश बैरवा को दी क्लीन चिट** :– घटना में पूर्व में गिरफतार किये मुनेश बैरवा को वृताधिकारी शहर ने क्लीन चिट देते हुये बताया कि स्वंय मुनेश भी ठगी का शिकार हुआ था , प्रकरण में इसका कोई दोष नही है । अब इसकी लिये 169 सीआरपीसी की रिहाई हेतु न्यायालय में अर्जी लगाई जावेगी।
7. **अन्य** साथियों की तलाश जारीः– वारदात में शामिल गिरोह के अन्य सदस्य सुरेन्द्र सांसी व सचिन जाट की तलाश जारी है। जहां जहां वारदात करने कबूला है , वहां सूचना भिजवा दी गई है।
8. **ऐशो आराम एवं कबूतर पालने का है शोंकीन** :– शातिर ठग वीरेन्द्र सफेद कबूतर पालने का शौकीन है और अपने नव निर्मित मकान में सबसे उपरी मजिल में रहता है , ताकि पुलिस आने पर पडोसी दोस्त के मकान में कूद कर भागा जा सके। करीब चार साल से वारदात कर रहा है तब से शिरडी सांई बाबा व दुर्गा माता की अखण्ड जोत अपने मकान में जला रखी है।
9. **कैसे देता था वारदात को अंजाम** :– एटीएम में गये भोले भाले लोगों से अपने स्वयं के लिये सहायता मांगता था फिर हाथ की सफाई से कार्ड चेंन्ज कर लेता था। तब तक दूसरा साथी गौर से पासवर्ड देखता था। पीडित को मिलता जूलता एटीएम कार्ड पकडज्ञ देता था। वारदात में दूर निकलने पर आई–20 गाडी का ईस्तेमाल करता था और स्थानीय स्तर पर सफेद रंग की स्कूटी काम में लेते थे। अब तक की हुई करीब 500 के करीब वारदातों में महाराष्ट्र , गुजरात , उत्तर प्रदेश , एमपी , नई दिल्ली , राजस्थान एवं हरियाणा के बडे शहरों एवं छोटे कस्बों में वारदात करना बताया है।

शांति भंग करने के 08 आरोपी गिरफ्तार :–

मदन सिंह हैड कानि0 थाना रवाजॅना डुगर ने 1. नेनगा पुत्र लोहडक्या उम्र 50 साल 2. रामसहाय पुत्र लोहडक्या उम्र 45 साल 3. दीपू पुत्र नेनगा उम्र 25 साल जातियान गुर्जर निवासी रवॉजना डुगंर को शांति भंग करने के आरोप में गिरफ्तार कर पेश न्यायालय किया गया।

इसी प्रकार महेन्द्र राठि उ0नि0 थाना कोतवाली गंगापुर सिटी ने 1. पंकज कुमार पुत्र प्रेमनाथ जाति जाटव उम्र 27 साल निवासी नसिया कोलोनी गंगापुरसिटी , 2– पवन कुमार पुत्र प्रेमनाथ जाति जाटव उम्र 25 साल निवास नसिया कोलोनी गंगापुरसिटी , 3– हरिकेश पुत्र मिश्रीलाल जाति जाटव उम्र 39 साल निवासी

नसिया कोलोनी गंगापुरसिटी 4. पुरुषोत्तम पुत्र बद्रीप्रसाद जाति जाटव उम्र 22 साल निवासी नसिया कोलोनी गंगापुरसिटी थाना गंगापुरसिटी को शांति भंग करने के आरोप में गिरफ्तार कर पेश न्यायालय किया गया।

इसी प्रकार शिवदयाल हैड कानि0 थाना कोतवाली गंगापुर सिटी ने आरिफ पुत्र रफीक जाति मुसलमान निवासी दशहरा मैदान गंगापुरसिटी को शांति भंग करने के आरोप में गिरफ्तार कर पेश न्यायालय किया गया।

शराब पीकर वाहन चलाते 02 आरोपी गिरफ्तार :–

मुकेश कुमार स0उ0नि0 थाना मानटाउन ने श्री कमलेश पुत्र चिरन्जी जाति बागरिया उम्र 35 साल निवासी जटवाडा खुर्द थाना मानटाउन स0मा0 को शराब पीकर वाहन चलाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया।

इसी प्रकार गिरिराज प्रसाद स0उ0नि0 थाना मलारना डुगंर ने देवीराम पुत्र हुकमचन्द जाति गुर्जर उम्र 18 साल निवासी कडी गावंडी थाना सदर गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर को शराब पीकर वाहन चलाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया।

जुआ खेलते 08 आरोपी गिरफ्तार :–

रामसहाय स0उ0नि0 थाना सूरवाल ने 1. धर्मसिंह पुत्र श्री देवपाल गुर्जर, 2. मनसा पुत्र श्री देवकरण गुर्जर निवासियान रईथा खुर्द थाना सूरवाल को सावर्जनिक स्थान पर ताश के पत्ते खेलने पर मय 52ताश पत्ते व 1180 रूपये नकद के साथ गिरफ्तार कर मु0न0 17/18 दर्ज किया गया।

इसी प्रकार फैयाज खान हैड कानि0 थाना सूरवाल ने 1. बृजमोहन पुत्र गिर्राज, 2. प्रसादीलाल पुत्र श्री जयराम जातियान मीणा निवासियान बाडोलास थाना सूरवाल को सावर्जनिक स्थान पर ताश के पत्ते खेलने पर मय 52ताश पत्ते व 1260 रूपये नकद के साथ गिरफ्तार कर मु0न0 18/18 दर्ज किया गया।

इसी प्रकार धर्मेन्द्र हैड कानि0 थाना बौंली ने 1. पारस पुत्र महेश जाति कोली 2. संजय माली पुत्र रामलाल जाति माली 3. ऋषिकेश पुत्र परमानन्द जाति माली 4. अनिल पुत्र रमेश जाति हरिजन निवासीयान बौंली थाना बौली को सावर्जनिक स्थान पर ताश के पत्ते खेलने पर मय 52 ताश पत्ते व 1180 रूपये नकद के साथ गिरफ्तार कर मु0न0 8/18 दर्ज किया गया।

सट्टे की खाईवाली करते 03 आरोपी गिरफ्तार :–

रैवत सिंह हैड कानि0 थाना मानटाउन ने श्री मुकेश कुशवाह पुत्र श्री आनन्दी लाल जाति कुशवाह उम्र 38 साल निवासी ईसरदा थाना चौथ का बरवाडा जिला सवाई माधोपुर को सार्वजनिक स्थान पर सट्टे की खाईवाली करते हुये पाये जाने पर मय सट्टा उपकरण व 1830 रूपये नकद के साथ गिरफ्तार कर मु0न0 13/18 दर्ज किया गया।

इसी प्रकार फजरूद्धीन हैड कानि0 थाना मानटाउन ने श्री कालूराम पुत्र तेजराम जाति मीना उम्र 22 साल नि0 जीनापुर थाना कोतवाली सवाई माधोपुर को सार्वजनिक स्थान पर सट्टे की खाईवाली करते हुये पाये जाने पर मय सट्टा उपकरण व 800 रूपये नकद के साथ गिरफ्तार कर मु0न0 14/18 दर्ज किया गया।

इसी प्रकार रैवत सिंह हैड कानि0 थाना मानटाउन ने श्री मुकेश कुशवाह पुत्र श्री आनन्दी लाल जाति कुशवाह उम्र 38 साल निवासी ईसरदा थाना चौथ का बरवाडा जिला सवाई माधोपुर। को सार्वजनिक स्थान पर सट्टे की खाईवाली करते हुये पाये जाने पर मय सट्टा उपकरण व 14050 रूपये नकद के साथ गिरफ्तार कर मु0न0 13/18 दर्ज किया गया।